सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 87/2017

बउनवानः—

1. राधेश्याम
2. सांवली
3. तेजमली

पिसरान बिरधा जाति माली निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. रामप्रसाद पुत्र कालू जाति माली निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां
2. भूली पुत्री कालू जाति माली निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92(ए) 188 आर0टी0एक्ट0

वकील वादीगण : श्री बुद्धि प्रकाश मालव

दायरा दिनांकः 11.09.2017 निर्णय दिनांक : 13.02.2019

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 के शामलाती खाते की आराजी वाके ग्राम रायथल तहसील मांगरोल में खाता संख्या 459 नया 417 पुराना की खसरा नं0 1226 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 1231 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 1248 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 1357 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 1359 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 2635 रकबा 0.81 है0, खसरा नं0 2709 रकबा 0.59 है0 कुल किता 7 रकबा 1.86 है0 दर्ज राजस्व रेकार्ड है। उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रेकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः—

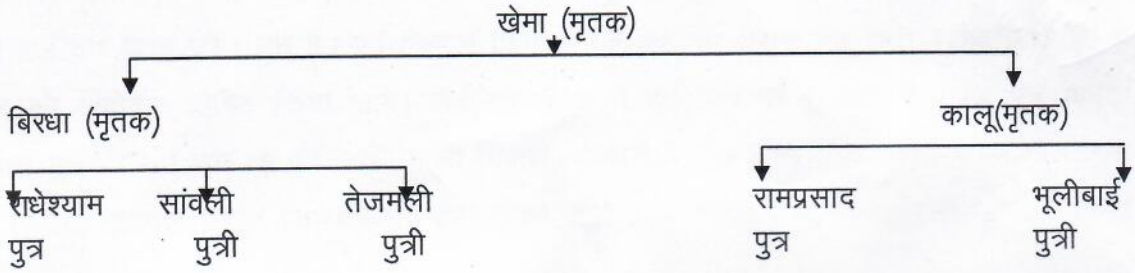

उक्त वर्णित आराजी में से खसरा नं0 1231 रकबा 0.17 है0 को ही विवादित आराजी कहा गया है। वादीगण के दादा खेमा ने अपने जीवनकाल में ही अपने पुत्रो बिरधा व कालू को उक्त वर्णित आराजी का बंटवारा कर दिया था वादीगण के दादा खेमा शुरू से ही अपने छोटे पुत्र बिरधा के पास ही रहे व उन्होने अपने दोनो पुत्रो बिरधा व कालू को बंटवारे में खसरा नं0 1231 रकबा 0.17 है0 को छोडकर सम्पूर्ण आराजी अपने दोनो पुत्रो बिरधा व कालू के बराबर–बराबर 1/2 हिस्सा में बांट दी थी। खेमा ने अपने जीवनकाल में ही वादीगण के पिता का उक्त विवादित आराजी खसरा नं0 1231 रकबा 0.17 है0 अपने सेवा सुश्रूवा व देखभाल तथा अपने नुकते बाडे आदि की ऐवज में अपने छोटे पुत्र बिरधा को दे दी थी। उक्त आराजी का फौती इंतकाल खुलते समय वादीगण के पिता बिरधा व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता कालू के 1/2 हिस्से में दर्ज हो गई जबकि उक्त वर्णित विवादित आराजी खसरा नं0 1231 रकबा 0.17 है0 वादीगण के पिता के खाते दर्ज होनी चाहिए जिसको वादीगण अपने खाते दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी व नालिसी है। उक्त आराजी पर वादीगण के पिता का ही कब्जा काश्त चली आ रही है। अतः निवेदन है कि ग्राम रायथल तहसील मांगरोल की आराजी खाता संख्या 459 में से खसरा नं0 1231 रकबा 0.17 है0 में से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का नाम हटाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादीगण की खाते की भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत होने पर दिनांक 11.09.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सूचना प्रतिवादीगण आजदिनांक तक अनुपस्थित है। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादीगण द्वारा वादपत्र के समर्थन में श्री राधेश्याम पुत्र बिरधा माली निवासी रायथल के बयान करवाये जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। श्री राधेश्याम पुत्र बिरधा माली निवासी रायथल ने अपने बयान में कथन किया कि वादीगण के दादा खेमा ने अपने जीवनकाल में ही उनकी सेवा हेतु आराजी खसरा नं0 1231 रकबा 0.17 है0 उनके छोटे पुत्र अर्थात वादीगण के पिता को दे दी थी, तभी से ही वादीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त है वादीगण के दादा खेमा की फौत होने के बाद उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता का नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु वादीगण के पिता के साथ–साथ प्रतिवादीगण के पिता का नाम भी दर्ज कर दिया जो गलत है। एवं निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं0 1231 रकबा 0.17 है0 में वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र क्रमशः सुन्दरलाल पुत्र गोवर्धन उम्र 78 वर्ष जाति माली निवासी रायथल व धन्नालाल पुत्र गनपत जाति माली उम्र 76 वर्ष निवासी रायथल प्रस्तुत किये। उक्त दोनो शपथ कर्ता द्वारा वादीगण के वाद पत्र का समर्थन किया

गया है एवं कथन किया कि वादीगण के दादा खेमा ने अपने जीवनकाल में ही आराजी खसरा नं0 1231 रकबा 0.17 है0 भूमि वादीगण के पिता को उनकी सेवा करने के ऐवज में अलग से अधिक दे दी थी।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। वकील वादी की दिनांक 13.02.2019 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिनका वाद पत्र में अंकन किया गया है। बयान गवाह एवं प्रस्तुत शपथ पत्र में भी वादीगण के वाद पत्र का समर्थन किया गया है। अतः पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात, सुनी गयी बहस, बयान गवाह व प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम रायथल की आराजी खसरा नं0 1231 रकबा 0.17 है के राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादी कम 1 रामप्रसाद पुत्र कालू जाति माली व प्रतिवादी कम 2 भूली पुत्री कालू जाति माली निवासी रायथल का नाम हजफ कर वादीगण कमशः राधेश्याम पुत्र, सांवली, तेजमली पुत्री बिरधा जाति माली निवासी रायथल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाय